

 सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	आषाढ़ 09, मंगलवार, शाके 1948- जून 30, 2026 Asadha 09, Tuesday, Saka 1948- June 30, 2026	

भाग 6 (ख)

जिला बोर्डों, परिषदों एवं नगर आयोजना संबंधी, विज्ञप्तियां आदि।

नगरीय विकास विभाग

अधिसूचना

जयपुर, जून 17, 2026

संख्या प.12(04)नविवि/जियाई(जैसलमेर)/2026:-राजस्थान नगर सुधार अधिनियम 1959 (राजस्थान अधिनियम सं. 35 सन् 1959) की धारा 32 उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, एतद्वारा घोषित करती है कि नगर विकास न्यास, जैसलमेर द्वारा राजस्व ग्राम जियाई के खसरा नं. 157 रकबा 15.4115 हैक्टेयर, खसरा संख्या 158 रकबा 9.4005 हैक्टेयर एवं खसरा संख्या 159 रकबा 13.4375 हैक्टेयर कुल रकबा 38.2495 हैक्टेयर भूमि पर रिसोट स्कीम योजना बनाने का विनिश्चय किया है। इस योजना की सीमायें निम्नानुसार हैं:-

उत्तर:- खसरा नं. 160, 160/259, 159/258, 161 एवं 162

दक्षिण:- खसरा संख्या 140, 141 व 147

पूर्व:- खसरा संख्या 159/258, 81/261 व 81/205

पश्चिम:- खसरा संख्या 148, 156, 163, 215/155, 214/155 व 216/155

उक्त योजना का विवरण एवं नक्शा नगर विकास न्यास, जैसलमेर के कार्यालय में उपलब्ध है तथा किसी भी कार्य दिवस में सांयकाल 3:00 बजे से 5:00 बजे तक देखा जा सकता है। इस योजना का अनुमानित क्षेत्रफल 38.2495 हैक्टेयर है।

उक्त अधिसूचना राजस्थान राजपत्र में प्रकाशन तिथि से 6 माह तक प्रभावशाली रहेगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

रवि विजय,

शासन उप सचिव-प्रथम।